

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 670/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

होम फर्स्ट फाइनेन्स कम्पनी इण्डिया लिमिटेड, पता-605-606, सिटी कॉर्पोरेट टॉवर, मुगल रस्तोई के ऊपर, अग्रसेन सर्किल के पास, सी-स्कीम जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री मनीष कुमार वर्मा,
2. श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री गुलाब चंद,
पता:- ए-31-ए, विजय नगर विस्तार, विजयपुरा रोड, आगरा रोड, विजयपुरा, जामडोली, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

1. श्री विष्णु कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 11.11.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 12.10.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री गुलाब चंद के स्वामित्व की संपत्ति ए-31-ए, विजय नगर विस्तार, विजयपुरा रोड, आगरा रोड, विजयपुरा, जामडोली, जयपुर, क्षेत्रफल 58.50 वर्गगज को बन्धक रख कर 06,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.04.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(जायपुर) जयपुर

3. प्राची वित्तीय संस्था का भारत का राजपत्र में जारी वित्त संस्थानों की अधिनियम नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 का संशोद्धित अधिनियम 2012 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पञ्जाबली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राची वित्तीय संस्था ने अप्राधीगण को कुल राशि 06,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्राधीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्राची वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्राधीगण का ऋण खाता एन पी ए धारित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 09,77,492/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्राधीगण को दिनांक 10.04.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है अप्राधीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्राधीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्राधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्राची वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्राधी श्रीमती मजू देवी धनी श्री सुरेश चंद क स्वामित्व की संपत्ति ए-31-ए, विजय नगर विस्तार, विजयपुर रोड, आगरा रोड, विजयपुर, जामडोली, जयपुर, क्षेत्रफल 58.50 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्राची वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राची वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं मालना रिपोर्ट मिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पञ्जाबली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
- आदेश आज दिनांक 11.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला नजिस्ट्रेट
नवदर) जयपुर